PART-III

हरियाणा सरकार

युवा अधिकारिता तथा उद्यमिता विभाग

अधिसूचना

दिनांक 30 जनवरी, 2026

संख्या का०आ० 5/के० अ० 36/2020/धा० 154/2026.– नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे हरियाणा के राज्यपाल, सामान्य खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का केन्द्रीय अधिनियम 10) की धारा 24 के साथ पठित सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का केन्द्रीय अधिनियम 36) की धारा 154 की उपधारा (2) के खण्ड (न) के साथ पठित उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करते हैं तथा इसके द्वारा, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का केन्द्रीय अधिनियम 36) की धारा 154 की उपधारा (1) द्वारा यथापेक्षित ऐसे व्यक्तियों, जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिए प्रकाशित करते हैं;

इसके द्वारा, नोटिस दिया जाता है कि राज्य सरकार नियमों के प्रारूप पर, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके बाद, ऐसे आक्षेपों तथा सुझावों, यदि कोई हों, के साथ, जो निदेशक, रोजगार, हरियाणा, रोजगार भवन, आई0पी0–6, सेक्टर–14, पंचकुला को सम्बोधित अथवा ई–मेल employment@hry.nic.in के माध्यम से किसी व्यक्ति से लिखित में नियमों के प्रारूप के सम्बन्ध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किए जाएं, विचार करेगी।

प्रारूप नियम

अध्याय–I

1. (1) ये नियम हरियाणा सामाजिक सुरक्षा संहिता (करियर केंद्र) नियम, 2026 कहे जा सकते हैं। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

(2) ये नियम सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का केंद्रीय अधिनियम 36) के प्रारंभ होने की तिथि के पश्चात् राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो ;– परिभाषाएँ ।

(क) "संहिता" से अभिप्राय है, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का केंद्रीय अधिनियम 36);

(ख) "करियर केन्द्र (केंद्रीय)" से अभिप्राय है, केंद्रीय सरकार द्वारा यथा अधिसूचित करियर केन्द्र;

(ग) "क्षेत्रीय करियर केन्द्र" से अभिप्राय है,[करियर केंद्र (केंद्रीय) से अन्यथा] राज्य सरकार द्वारा, समय–समय पर, निम्नलिखित में अधिसूचित करियर केंद्र ;

(i) उस क्षेत्र में, जिसमें सम्बंधित प्रतिष्ठान संचालित होंगे; या

(ii) रिक्तियों के विनिर्दिष्ट वर्गों या प्रवर्गों पर; या

(iii) (i) और (ii) दोनों;

(घ) "निदेशक" से अभिप्राय है, महानिदेशक या निदेशक, रोजगार हरियाणा ;

(ड.) "प्ररूप" से अभिप्राय है, इन नियमों से संलग्न प्ररूप;

(च) "व्यवसाय" से अभिप्राय है, किसी व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला व्यापार, पेशा या कार्य की किस्म, चाहे वह किसी भी आर्थिक गतिविधि की शाखा से सम्बन्धित हो;

(छ) "व्यावसायिक सूचना" से अभिप्राय है, कार्य जगत के विभिन्न विषयों पर न केवल व्यवसायों और रोजगार पर बल्कि शिक्षा और प्रशिक्षण सुविधाओं और किसी व्यवसाय के चयन और तैयारी से सम्बंधित अन्य मामलों पर भी सूचना;

(ज) "अभिहित पोर्टल" से अभिप्राय है, कोई पोर्टल, जिसे विशेष रूप से क्षेत्रीय करियर केन्द्र में किए जाने वाले सभी रोजगार सम्बंधी सेवाओं या कार्यों को करने के लिए डिजाइन और अभिहित किया गया हो;

(झ) "निवासी" से अभिप्राय है, कोई व्यक्ति, जो राज्य का निवासी है;

(ञ) "धारा" से अभिप्राय है, संहिता की धारा;

(ट) "राज्य सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासकीय विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार;

(ठ) "राज्य" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य;

(ड) "वर्ष" से अभिप्राय है, प्रथम अप्रैल से शुरू होने वाला और अगले वर्ष के इकतीस मार्च को समाप्त होने वाला वित्तीय वर्ष ;

(2) इन नियमों में प्रयुक्त किन्तु इनमें अपरिभाषित शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे, जो संहिता में उन्हें दिए गए हैं।

अध्याय–II

रोजगार सूचना एवं अनुवीक्षण

क्षेत्रीय करियर केन्द्र तथा इनकी सेवाओं की स्थापना तथा रख– रखाव धारा 2(9)।

3. (1) राज्य सरकार, क्षेत्रीय करियर केन्द्र की स्थापना, संचालन एवं रख–रखाव करेगी या राजपत्र में अधिसूचना द्वारा पहले से ही स्थापित अपने कार्यालय या रोजगार कार्यालय या किसी अन्य केन्द्र को करियर केन्द्र के रूप में रूपांतरित या प्राधिकृत कर सकती है। ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन तक मौजूदा स्थानीय रोजगार कार्यालय तथा केंद्रीय रोजगार कार्यालय क्रमशः क्षेत्रीय करियर केन्द्र तथा करियर केन्द्र (केंद्रीय) के रूप में कार्य करते रहेंगे।

(2) राज्य सरकार, किसी क्षेत्रीय करियर केन्द्र के संचालन हेतु किसी संस्थान, स्थानीय प्राधिकरण, स्थानीय निकाय अथवा निजी निकाय के साथ करार भी कर सकती है।

(3) उपरोक्त उप–नियम (1) तथा (2) के अधीन स्थापित क्षेत्रीय करियर केन्द्र निम्नलिखित कृत्य भी करेंगे; अर्थातः–

(क) निम्नलिखित के सम्बंध में अभिहित पोर्टल के माध्यम से सूचना का संग्रहण और प्रस्तुतीकरण :–

(i) कामगारों को नियोजित करने वाले व्यक्ति;

(ii) रोजगार की मांग करने वाले व्यक्ति;

(iii) रिक्तियाँ होने; और

(iv) व्यावसायिक मार्गदर्शन तथा करियर काउंसलिंग अथवा स्व–रोजगार शुरू करने के सम्बंध में मार्गदर्शन के इच्छुक व्यक्ति।

(ख) करियर काउंसलिंग, कौशल प्रशिक्षण तथा व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान करना;

(ग) रोजगार मेले तथा रोजगार ड्राइव का संचालन;

(घ) रोजगार से सम्बंधित सर्वेक्षण तथा अध्ययन;

(ड.) रोजगार को बढ़ाने वाली गतिविधियाँ; और

(च) अन्य सेवाएं, जो राज्य सरकार द्वारा, समय–समय पर, विनिश्चित की जाएं।

सम्बंधित करियर केन्द्र को नियोक्ता या समूहक द्वारा रिक्तियों को रिपोर्ट करने का ढंग तथा प्ररूप और रिटर्न दायर करना धारा 139(2)।

4. (1) करियर केन्द्रों को रिक्तियाँ रिपोर्ट करना :–

(क) राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रत्येक प्रतिष्ठान में नियोक्ता या समूहक, उस प्रतिष्ठान में किसी भी नियोजन में रिक्तियों को भरने से पूर्व, उस रिक्ति को अभिहित पोर्टल के माध्यम से क्षेत्रीय करियर केन्द्र को रिपोर्ट करेगा या करवाएगा।

(ख) निजी क्षेत्र के प्रत्येक प्रतिष्ठान में या निजी क्षेत्र में प्रतिष्ठानों के किसी वर्ग या प्रवर्ग से सम्बंधित प्रत्येक प्रतिष्ठान में प्रत्येक नियोक्ता या समूहक, उस प्रतिष्ठान में किसी भी नियोजन में किसी भी रिक्ति को भरने से पूर्व, उस रिक्ति को अभिहित पोर्टल के माध्यम से क्षेत्रीय करियर केन्द्र को रिपोर्ट करेगा या करवाएगा।

(ग) क्षेत्रीय करियर केन्द्र, जिसको ये रिक्तियाँ रिपोर्ट की गई हैं, रिपोर्ट की गई रिक्तियों के लिए एक विशिष्ट रिक्ति रिपोर्टिंग संख्या उपलब्ध करवाएंगे तथा इसे तुरंत लिखित में, ई–मेल या किसी अन्य ऐसी मीडिया के माध्यम से नियोक्ता या समूहक को सूचित करेंगे, किन्तु, रिक्ति की रिपोर्टिंग की प्राप्ति की तिथि से पाँच कार्य दिवसों के अपश्चात्।

व्याख्याः– (I) "सार्वजनिक क्षेत्र में प्रतिष्ठान" से अभिप्राय है, निम्नलिखित के स्वामित्वाधीन, नियन्त्रणाधीन या प्रबंधनाधीन कोई प्रतिष्ठान–

(i) सरकार अथवा राज्य सरकार का कोई विभाग;

(ii) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का केंद्रीय अधिनियम 18) की धारा 2 के खंड (45) में यथा परिभाषित कोई सरकारी कंपनी;

(iii) किसी केंद्रीय या राज्य अधिनियम द्वारा या के अधीन स्थापित कोई निगम (सहकारी सोसाइटी सहित) या कोई स्वायत्त संगठन या कोई प्राधिकारण या निकाय, जो राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन, नियन्त्रणाधीन या प्रबंधनाधीन हो;

(iv) कोई स्थानीय प्राधिकारण।

(II) "निजी क्षेत्र में प्रतिष्ठान" से अभिप्राय है, कोई ऐसा प्रतिष्ठान, जो सार्वजनिक क्षेत्र का प्रतिष्ठान नहीं है तथा जिसमें, सामान्यतः पचास या इससे अधिक कर्मचारी या ऐसी संख्या में कर्मचारी नियोजित हैं, जितने राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाए।

(2) रिक्तियों का प्रकार और रिक्तियों को रिपोर्ट करने हेतु सम्बंधित करियर केन्द्र :

(क) निम्नलिखित रिक्तियां, अर्थात्:–

(i) प्रतिष्ठानों में होने वाली न्यूनतम वेतन या वेतन स्तर या दोनों सहित तकनीकी और वैज्ञानिक प्रकृति के पदों में केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अधिसूचित सभी रिक्तियां, जिनके सम्बंध में संहिता के अधीन केंद्रीय सरकार समुचित सरकार है; और

(ii) नियोक्ता या समूहक की इच्छानुसार राज्य से बाहर करियर केन्द्र में परिचालित की जाने वाली रिक्तियां,

ऐसे करियर केन्द्र (केंद्रीय), जो केंद्रीय सरकार द्वारा, विनिर्दिष्ट किए जाएं, को रिपोर्ट की जाएंगी।

(ख) उपरोक्त खंड (क) में विनिर्दिष्ट रिक्तियों से भिन्न रिक्तियों को सम्बंधित क्षेत्रीय करियर केन्द्र को रिपोर्ट किया जाएगा।

(ग) रिक्तियां, जो क्षेत्रीय करियर केन्द्र को रिपोर्ट की जा चुकी हैं और जिनके लिए भर्ती राज्य या अन्तर–राज्य या अखिल भारतीय आधार पर की जानी है, को भी करियर केन्द्र (केंद्रीय) को रिपोर्ट किया जाएगा।

(3) रिक्तियों की रिपोर्टिंग का प्ररूप तथा रीति :–

(क) रिक्तियों को यथा विनिर्दिष्ट प्रत्येक प्रकार की रिक्ति के लिए सभी ब्योरे पृथक रूप में देते हुए, अभिहित पोर्टल के माध्यम से प्ररूप–I में दिए गए अनुसार क्षेत्रीय करियर केन्द्र को रिपोर्ट किया जाएगा।

(ख) खंड (क) के अधीन क्षेत्रीय करियर केन्द्र को पहले ही प्रस्तुत किए जा चुके ब्योरे में हुए परिवर्तनों के बारे में, अभिहित पोर्टल के माध्यम से रिपोर्ट किया जाएगा।

(4) रिक्तियों की रिपोर्टिंग में समय–सीमाः–

(क) रिक्तियां, जो क्षेत्रीय करियर केन्द्र को रिपोर्ट की जानी आवश्यक हैं, रिपोर्ट की गई रिक्तियों के लिए नियुक्ति के प्रयोजन हेतु या साक्षात्कार लिए जाने या परीक्षा लिए जाने हेतु संभावित उम्मीदवारों के आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि से कम–से–कम पंद्रह दिन पहले रिपोर्ट की जाएगी।

(ख) रिक्तियां, जो करियर केन्द्र (केंद्रीय), को रिपोर्ट की जानी आवश्यक हैं, रिपोर्ट की गई रिक्तियों के लिए नियुक्ति के प्रयोजन हेतु या साक्षात्कार लिए जाने या परीक्षा लिए जाने हेतु संभावित उम्मीदवारों के आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि से कम–से–कम पंद्रह दिन पहले रिपोर्ट की जाएंगी।

(ग) उपरोक्त उप–नियम (3) के खंड (ख) के अधीन रिक्तियों की प्राप्ति की तिथि को रिपोर्ट की गई रिक्तियों की तिथि माना जाएगा।

(घ) नियोक्ता या समूहक, रिक्ति भरने की संभावित तिथि (रिक्ति अधिसूचना प्ररूप–I में उल्लेखित) के बाद एक मास के भीतर चयन के परिणाम अभिहित पोर्टल के माध्यम से क्षेत्रीय करियर केन्द्र को प्रस्तुत करेगा।

5. नियोक्ता या समूहक, प्ररूप–II में दिए गए अनुसार रोजगार सूचना रिटर्न (ई आई आर) के तौर पर अनुबन्ध सहित वार्षिक विवरणियों में व्यवसायिक सूचना सम्बंधित क्षेत्रीय करियर केन्द्र को प्रेषित करेगा। वार्षिक विवरणी नियत तिथि अर्थात् वर्ष की इकतीस मार्च, के तीस दिन के भीतर अभिहित पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी। विवरणियों को प्रस्तुत करना।

अभिलेखों का रख–रखाव।

6. (क) राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र में प्रत्येक नियोक्ता या समूहक मैनुअली या इलैक्ट्रानिक रूप में या डिजिटल रूप में निम्नलिखित के सबंध में अभिलेख बनाए रखेंगेः–

(i) प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च को कर्मचारियों की कुल संख्या (नियमित, अस्थायी, संविदात्मक, आकस्मिक या नियत अवधि नियोजन);

(ii) 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान नियुक्त व्यक्ति;

(iii) 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान भर्ती किए गए हरियाणा राज्य के निवासियों की संख्या;

(iv) प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च को इसके कर्मचारियों का व्यावसायिक ब्योरा;

(v) 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान ऐसी रिक्तियां, जिनके लिए उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं थे; और

(vi) अगले वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पन्न होने वाली अनुमानित रिक्तियों की संख्या;

(ख) राज्य में निजी क्षेत्र में प्रत्येक नियोक्ता या समूहक मैनुअली या इलैक्ट्रानिक रूप में या डिजिटल रूप में निम्नलिखित के सबंध में अभिलेख बनाए रखेंगे :–

(i) प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च को कर्मचारियों की कुल संख्या (नियमित, अस्थायी, संविदात्मक, आकस्मिक या नियत अवधि नियोजन);

(ii) 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान नियुक्त व्यक्ति;

(iii) 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान भर्ती किए गए हरियाणा राज्य के निवासियों की संख्या;

(iv) प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को इसके कर्मचारियों का व्यावसायिक ब्योरा;

(v) 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान ऐसी रिक्तियां, जिनके लिए उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं थे; और

(vi) अगले वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पन्न होने वाली अनुमानित रिक्तियों की संख्या;

कार्यकारी अधिकारी की घोषणा।

7. संहिता के अध्याय XIII (रोज़गार सूचना और अनुवीक्षण) के प्रवर्तन/कार्यान्वयन के प्रयोजनों हेतु राज्य सरकार प्रत्येक जिले में लिखित में कार्यकारी अधिकारी के रूप में क्षेत्रीय करियर केन्द्र का प्रभारी अधिकारी घोषित करेगी।

अभिलेख या दस्तावेज तक पहुंच का अधिकार।

8. कार्यकारी अधिकारी को पूर्व सूचना के बाद उसे किसी भी नियोक्ता या समूहक के कब्जे वाले संबंधित अभिलेख तक पहुँच होगी या दस्तावेजों का निरीक्षण करेगा या उनकी प्रतियां लेगा या संहिता के अध्याय XIII के प्रयोजनो हेतु कोई भी आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकेगा।

शास्ति का उद्ग्रहण।

9. राज्य, जिसमें प्रतिष्ठान स्थित है, का निदेशक, रोज़गार या उसके समकक्ष रैंक का कोई अधिकारी, धारा 133 के खण्ड (iii) और (iv) के साथ पठित खण्ड (ड.),(ड),(ढ.),(ण) में खण्ड यथा वर्णित संहिता के अधीन किसी अपराध के लिए शास्ति का अनुमोदन करने तथा अधिरोपित करने हेतु सक्षम प्राधिकारी होगा।

प्ररूप–I

[देखिए नियम 4(3)(क)]

करियर केन्द्रों को रिक्तियां रिपोर्ट करने हेतु प्ररूप

(प्रत्येक प्रकार के पदों के लिए अलग–अलग प्ररूप प्रयोग किए जाने हैं)

1.	संहिता के अधीन प्रतिष्ठान की पंजीकरण संख्या		
	प्रतिष्ठान का ब्योरा		
	नाम		
	प्रमुख आर्थिक गतिविधि का ब्योरा		
	पिन कोड सहित पता		
	दूरभाष संख्या		
	मोबाइल संख्या		
	ई–मेल पता		
	जीपीएस निर्देशांक	देशांतर	
		अक्षांश	
	प्रतिष्ठान का प्रकार (केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, स्वायत्त, निजी, इत्यादि)		
2.	मानव संसाधन / स्थापना अधिकारी का विवरण		
	नाम		
	पदनाम		
	दूरभाष संख्या		
	मोबाइल संख्या		
	ई–मेल पता		
3.	रिक्ति (रिक्तियों) का ब्योरा		
	(क) रिक्तियों का प्रकार (स्थायी / संविदात्मक / प्रशिक्षु)		
	(ख) भरी जाने वाली रिक्ति (रिक्तियों) का पदनाम / नामपद्धति		
	(ग) पद के दायित्वों का वर्णन (जॉब रॉल / कार्यात्मक भूमिका)		
	(घ) अपेक्षित योग्यताएं / कौशल (शैक्षणिक, तकनीकी, अनुभव)	अनिवार्य	वांछनीय / अधिमान योग्य
	(i) शैक्षणिक योग्यता		
	(ii) तकनीकी योग्यता		
	(iii) कौशल		
	(iv) अनुभव		
	(ड) आयु सीमा, यदि कोई हो (आवेदन करने की अंतिम तिथि को आयु)		
	(च) अधिमानताएं (जैसे भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगजन, महिलाएं इत्यादि) यदि कोई हों।		
	(छ) नियोजन की अवधि	पदों की संख्या	

	(i) 3 मास से कम		
	(ii) 3–6 मास		
	(iii) 6–12 मास		
	(iv) 12 मास और उससे अधिक		
4.	क्या रिक्तियों को भरने में अनुसूचित जाति (एससी), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्लयूएस), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), भूतपूर्व सैनिक तथा दिव्यांगजन (पीडब्लयूडी), महिलाएं इत्यादि जैसे व्यक्तियों को किसी **आरक्षण/अधिमान** देने की व्यवस्था करने का कोई दायित्व हैः हां/नहीं (यदि हां, तो नीचे दिए गए ब्योरे के अनुसार व्यक्तियों के ऐसे प्रवर्ग द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या बताई जाए)		
	प्रवर्ग	भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या	
		कुल	❖ प्राथमिकता अभ्यर्थियों द्वारा (केंद्रीय सरकार की रिक्तियों के लिए लागू)
	(क) अनुसूचित जाति		
	(ख) अन्य पिछड़ा वर्ग		
	(ग) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग		
	(घ) भूतपूर्व सैनिक		
	(ड.) दिव्यांगजन (पीडब्लयूडी)		
	(च) महिलाएं		
	(छ) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
5.	**वेतन तथा भत्तेः** सरकारी रिक्तियों के लिए : अन्य ब्योरे, यदि कोई हों, के साथ मूल वेतन/प्रतिमाह वेतन सहित पद के वेतन स्तर/वेतनमान, का उल्लेख करें। अन्यों के लिए : अन्य ब्योरे, यदि कोई हों, के साथ प्रतिमास न्यूनतम कुल वेतन, का उल्लेख करें।		
6.	संभावित तिथि, जब तक रिक्ति भरी जानी है		
7.	कार्य का स्थान (कस्बे/गांव तथा जिला का नाम, पिन कोड इत्यादि, जिसमें यह स्थित है)		
8.	आवेदन का ढंग (ई–मेल, ऑनलाइन, लिखित में, इत्यादि) और आवेदनों को प्राप्त करने की अंतिम तिथि		
9.	उस अधिकारी का विवरण, जिसको आवेदन भेजे जाएं/ अभ्यर्थी सम्पर्क करें :		
	(i) नाम		
	(ii) पदनाम		
	(iii) ई–मेल आईडी		
	(iv) पता		
	(v) दूरभाष संख्या		
	(vi) ऑन लाइन के मामले में वेबसाइट का पता		

10.	भर्ती का ढंग	
	(i) करियर केन्द्र के माध्यम से	
	(ii) नियोजन अभिकरण के माध्यम से	
	(iii) स्व प्रबंधन के माध्यम से	
	(iv) अन्य कोई ढंग (विनिर्दिष्ट करें)	
11.	क्या करियर केन्द्र में पंजीकृत पात्र अभ्यर्थियों की सूची सौंपने को वरीयता देंगे।	हां / नहीं
12.	अन्य कोई सुंसगत जानकारी	

हस्ताक्षर

नाम

प्रतिष्ठान / नियोक्ता / समूहक के प्राधिकृत

हस्ताक्षरकर्ता की मुहर तथा तिथि के साथ पदनाम

(कार्यालय प्रयोग के लिए करियर केन्द्र द्वारा भरा जाए)

13.	करियर केन्द्र का नाम, पता, ई–मेल आईडी	
14	रिक्तियाँ प्राप्त होने की तिथि	
15	प्रतिष्ठान का एनआईसी कोड	
16	पद का एनसीओ कोड	
17	विशिष्ट रिक्ति आईडी संख्या	

हस्ताक्षर

नाम

क्षेत्रीय करियर केन्द्र के प्राधिकृत

हस्ताक्षरकर्ता की मुहर तथा तिथि के साथ पदनाम

टिप्पणः

(1) क्षेत्रीय करियर केन्द्र, जिसको रिक्तियाँ रिपोर्ट की जाती हैं, रिपोर्ट की गई रिक्ति को एक विशिष्ट रिक्ति रिपोर्टिंग संख्या प्रदान करेगा तथा इसे लिखित में, ई–मेल अथवा अभिहित पोर्टल के माध्यम से तत्काल नियोक्ता या समूहक को भेजेगा किन्तु रिक्तियों की रिपोर्टिंग की प्राप्ति की तिथि से पांच कार्य दिवसों के अपश्चात्।

(2) कोई नियोक्ता या समूहक, यदि किसी मीडिया में उस रिक्ति का विज्ञापन देता है या किसी अभिकरण अथवा किसी अन्य ढंग से भर्ती करता है, तो वह उस विज्ञापन अथवा भर्ती प्रक्रिया में उस विशिष्ट रिक्ति रिपोर्टिंग संख्या को सदैव उल्लेखित करेगा।

(3) क्षेत्रीय करियर केन्द्र को पहले से प्रस्तुत किए गए विवरणों में किसी भी परिवर्तन को अभिहित पोर्टल के माध्यम से रिपोर्ट किया जाएगा।

प्ररूप–II

[देखिए नियम 4(5)]

ईआईआर प्ररूप (रोजगार सूचना विवरणी)

.... को समाप्त वर्ष के लिए क्षेत्रीय करियर केन्द्र को प्रस्तुत की जाने वाली वार्षिक विवरणी

समाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का केन्द्रीय अधिनियम 36) (अध्याय–XIII– रोजगार सूचना एवं अनुवीक्षण) के अधीन निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है।

प्रतिष्ठान का नाम तथा पता	
क्या–मुख्यालय है / शाखा कार्यालय है ?	
प्रतिष्ठान का प्रकार (सार्वजनिक / निजी क्षेत्र)	
व्यवसाय का प्रकार / मुख्य क्रियाकलाप	
संहिता के अधीन प्रतिष्ठान की पंजीकरण संख्या	

1. (क) रोजगार
अंशकालिक कामगारों तथा प्रशिक्षुओं को छोड़कर कार्यरत प्रोपराइटर्स / पार्टनर्स / आकस्मिक भुगतान एवं संविदात्मक कामगारों, आउटसोर्स कामगारों सहित प्रतिष्ठान की जनशक्ति की कुल संख्या (इन आंकड़ों में वह प्रत्येक व्यक्ति शामिल होना चाहिए, जिसे मजदूरी अथवा वेतन का भुगतान किया गया है)।

प्रवर्ग	पूर्ववर्ती वर्ष के अंतिम कार्य दिवस को	रिपोर्टाधीन वर्ष के अंतिम कार्य दिवस को
पुरूष		
महिला		
अन्य (ट्रांसजेंडर)		
कुल		
उपर्युक्त कुल में से दिव्यांगजन (पीडब्लयूडी)		

(ख)यदि.................वर्ष के दौरान रोजगार में वृद्धि या कमी 5% से अधिक है, तो कृपया रोजगार में किसी भी वृद्धि या कमी के मुख्य कारण बताएं।

2. वर्ष के दौरान हुई रिक्तियों * तथा करियर केन्द्र को रिपोर्ट की गई रिक्तियों की संख्या तथा वर्ष के दौरान भरी गई रिक्तियों की संख्या

हुई रिक्ति	रिपोर्ट की गई		भरी गई	स्रोत (करियर केन्द्र / एनसीएस पोर्टल / सरकारी भर्ती अभिकरण / निजी नियोजन संगठन / अन्य)
	करियर केन्द्र (क्षेत्रीय)	करियर केन्द्र (केंद्रीय)		
1	2	3	4	5

*सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 (2020 का केन्द्रीय अधिनियम 36) (अध्याय–XIII) तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार।

3. जनशक्ति की कमी :

उपयुक्त आवेदकों की कमी के कारण रिक्तियां/पद रिक्त रह गए।

व्यवसाय का नाम अथवा पद का पदनाम	रिक्त रह गई रिक्तियों/पदों की संख्या		
	कौशल/योग्यता (शैक्षणिक/तकनीकी/विहित अनुभव)	अनिवार्य	वांछनीय
1	2	3	4

(कृपया उन अन्य व्यवसायों को भी सूचीबद्ध करें जिनके लिए हाल ही में प्रतिष्ठान को उपयुक्त आवेदक प्राप्त करने में कठिनाई हुई थी)।

4. अगले कैलेंडर वर्ष के दौरान व्यावसायिक वर्गीकरण के कारण अपेक्षित अनुमानित जनशक्ति (कृपया नीचे प्रत्येक व्यवसाय में कर्मचारियों की संख्या अलग–अलग दी जाए)।

व्यवसाय	कर्मचारियों की संख्या कृपया जहां तक संभव हो सेवानिवृत्ति/विस्तार अथवा पुनर्संगठन के कारण अगले वित्तीय वर्ष के दौरान आपके द्वारा भरी जाने वाली प्रत्येक व्यवसाय में रिक्तियों की अनुमानित संख्या दें।				
विवरण	पुरूष	महिला	अन्य (ट्रांसजेंडर)	कुल	कुल में से दिव्यांगजन (पीडब्लयूडी)
1	2	3	4	5	6
कुल					

* विवरण(खाना में)–अभियंता (मैकेनिकल), सहायक निदेशक (मैटलर्जिस्ट), अनुसंधान अधिकारी (अर्थशास्त्री), पर्यवेक्षक (टेलरिंग), इंस्पेक्टर (सैनेटरी), अधीक्षक (कार्यालय), प्रबंधक (सेल्स), प्रबंधक (अकांउट्स), कार्यपालक (मार्केटिंग), डाटा एंट्री आपरेटर...................................... जैसे वास्तविक शब्दों का प्रयोग करें।

हस्ताक्षर

नाम

प्रतिष्ठान के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/नियोक्ता/
समूहक की मुहर तथा तिथिसहित तथा पदनाम

टिप्पण:–

1. यह विवरणी वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर तीस दिन के भीतर प्रतिष्ठानों/नियोक्ताओं द्वारा क्षेत्रीय करियर केन्द्र को सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का केन्द्रीय अधिनियम 36) (अध्याय–XIII–रोजगार सूचना एवं अनुवीक्षण) के अधीन अपने दायित्व के रूप में प्रस्तुत करनी अपेक्षित है।

2. नियोक्ताओं/समूहकों से सूचना प्राप्त करने का मुख्य प्रयोजन (i) उपलब्ध रिक्तियों/रोजगार के अवसर; (ii) कार्मिकों का प्रकार, जिनका अभाव है; और (iii) नौकरी चाहने वालों को व्यावसायिक मार्गदर्शन/कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध करवाने के लिए भविष्य के जॉब अवसरों का पता लगाना तथा उन्हें नियोक्ताओं से जोड़ना है। यह कौशल आवश्यकताओं का पता लगाने में भी सहायक है। नियोक्ता या समूहक भी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उपयुक्त अभ्यर्थी लेने के लिए क्षेत्रीय करियर केन्द्र को कॉल करने/में उपस्थित होने हेतु समर्थ होंगे।

परिशिष्ट

वर्तमान वर्ष के दौरान व्यावसायिक वर्गीकरण के अनुसार जनशक्ति की कुल संख्या

(कृपया प्रत्येक व्यवसाय में कर्मचारियों की संख्या अलग–अलग बताएं)

व्यवसाय	कर्मचारियों की संख्या					
विवरण	पुरूष	महिला	अन्य (ट्रांसजेंडर)	कुल	कुल में से दिव्यांगजन (पीडब्लयूडी)	कुल में से हरियाणा के निवासी
1	2	3	4	5	6	7
कुल						

टिप्पणः– जानकारी स्वैच्छिक आधार पर संगृहीत की गई है।

राजीव रंजन,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

YOUTH EMPOWERMENT AND ENTREPRENEURSHIP DEPARTMENT

Notification

The 30th January, 2026

No. S.O. 5/C.A. 36/2020/S.154/2026.— The following draft of rules which the Governor of Haryana proposes to make in exercise of the powers conferred under sub-section (1) read with clause (t) of sub-section (2) of section 154 of the Code on Social Security, 2020 (Central Act 36 of 2020) read with section 24 of the General Clauses Act, 1897 (Central Act 10 of 1897) is hereby published as required by sub-section (1) of section 154 of the Code on Social Security, 2020 (Central Act 36 of 2020), for the information of persons likely to be affected thereby.

Notice is hereby given that the draft of rules shall be taken into consideration by the State Government on or after the expiry of a period of forty-five days from the date of publication of this notification in the Official Gazette together with objections or suggestions, if any, which may be addressed to the Director, Employment, Haryana, Rozgar Bhawan, IP-6, Sector-14, Panchkula, in writing or by email – employment@hry.nic.in by any person with respect to the draft of rules before the expiry of the period so specified.

CHAPTER-I

PRELIMINARY

Short title and commencement.

1. (1) These rules may be called the Haryana Code on Social Security (Career Centre) Rules, 2026.

(2) They shall come into force from the date of their final publication in the Official Gazette after the date of the commencement of the Code on Social Security, 2020 (Central Act 36 of 2020).

Definitions.

2. **(1)** **In these rules, unless the context otherwise requires,-**

(a) "Code" means the Code on Social Security, 2020 (Central Act 36 of 2020);

(b) "career centre (Central)" means that career centre as notified by the Central Government;

(c) "Regional Career Centre" means that Career Centre {other than the career centre (Central)} as notified by the State Government from time to time -

(i) over the area in which the establishments concerned shall operate; or

(ii) over specified classes or categories of vacancies;

(iii) or both (i) and (ii);

(d) "Director" means the Director General or Director, Employment, Haryana;

(e) "form" means a form appended to these rules;

(f) "occupation" means a trade, profession or type of work performed by an individual irrespective of the branch of the economic activity to which he is attached;

(g) "occupational information" means information on a wide variety of topics of the world of work not only on occupations and employment but also on education and training facilities and other matters related to the choice of and preparation for an occupation;

(h) "designated portal" means a portal specifically designed and designated to perform all the employment related services or function carried out at the Regional Career Centre;

(i) "resident" means a person who is domiciled in the State;

(j) "section" means a section of the Code;

(k) "State Government" means the Government of the State of Haryana in the administrative department;

(l) "State" means the State of Haryana;

(m) "Year" shall means the financial year beginning from the first of April and ending with the thirty-first of March of the year following.

(2) Words and expressions used in these rules but not defined therein shall have the same meaning as assigned to them in the Code.

CHAPTER-II

EMPLOYMENT INFORMATION AND MONITORING

Manner of establishment and maintenance of Regional Career Centre and its services. section 2(9).

3. (1) The State Government may establish, run and maintain Regional Career Centre or modify its already established office or employment exchange, or authorize any other centre as Regional Career Centre by notification in the Official Gazette. Till the publication of such notification, existing local employment exchanges and Central employment exchange shall function as Regional Career Centres and career centre (Central) respectively.

(2) The State Government may also enter into an agreement with any institution, local authority, local body or private body for running a Regional Career Centre.

(3) The Regional Career Centres established under sub-rule (1) shall perform the following functions namely :-

(a) collection and furnishing of information through designated portal relating to:-

(i) persons who seek to employ employees;

(ii) persons who seek employment;

(iii) occurrence of vacancies; and

(iv) persons who seek vocational guidance and career counseling or guidance to start self-employment;

(b) providing career counselling, skill training and vocational guidance;

(c) organizing job-fairs and placement drives;

(d) employment related surveys and studies;

(e) employability enhancement activities; and

(f) other services, as may be decided by State Government from time to time.

Manner and form of reporting vacancy and form of filling the return by the employer or aggregator, to the concerned Career Centre. section 139(2)

4. (1) Reporting of vacancies to Career Centre :-

(a) The employer or aggregator in every establishment in public sector in the State shall, before filling up any vacancy in any employment in that establishment, report that vacancy or cause to be reported to Regional Career Centre through the designated portal.

(b) The employer or aggregator in every establishment in private sector or every establishment pertaining to any class or category of establishments in private sector shall, before filling up any vacancy in any employment in that establishment, report that vacancy or cause to be reported to Regional Career Centre through the designated portal.

(c) Regional Career Centre to which the vacancies are reported, shall provide a unique vacancy reporting number for the reported vacancies and convey it to the employer or aggregator in writing, through email or any other media immediately but not later than five working days from the date of receipt of reporting of vacancies.

Explanation - (I) "establishment in public sector" means an establishment owned, controlled or managed by -

(i) the Government or a Department of the State Government

(ii) a Government company as defined in clause (45) of section 2 of the Companies Act, 2013 (Central Act 18 of 2013);

(iii) a corporation (including a co-operative society) or an autonomous organization or an authority or a body established by or under a Central or State Act, which is owned, controlled or managed by the State Government; and

(iv) a local authority.

(II) **"establishment in private sector"** means an establishment which is not an establishment in public sector and with ordinarily fifty or more employees or such number of employees as may be notified by the State Government.

(2) Types of vacancies and respective Career Centre for reporting of vacancies:-

(a) The following vacancies, namely:-

(i) All vacancies in posts of Technical or Scientific nature carrying a minimum pay or pay level or both as notified by the Central Government, occurring in establishments in respect of which the Central Government is the appropriate Government under the Code; and

(ii) Vacancies which an employer or aggregator may desire to be circulated to the Career Centers outside the State,

shall be reported to the career centres (Central) as specified by Central Government.

(b) Vacancies other than those specified under clause (a) above, shall be reported to the concerned Regional Career Centre.

(c) Vacancies which have been reported to the Regional Career Centre and for which recruitment is to be made on State or Inter-State or all India basis, shall also be reported to career centre (Central).

(3) Form and manner of reporting of vacancies:-

(a) Vacancies shall be reported to the Regional Career Centres in Form-I through the designated portal furnishing all details separately for each type of vacancy as specified.

(b) Any change in the details already furnished to the Regional Career Centre under clause (a) shall be reported through the designated portal.

(4) Time limit in the reporting of vacancies:-

(a) Vacancies, required to be reported to the Regional Career Centre, shall be reported at least fifteen days before the last date of receipt of the applications of the prospective candidates for purpose of appointment or taking interview or test against the vacancies reported.

(b) Vacancies required to be reported to the career centre (Central) shall be reported at least fifteen days before the last date of receipt of the applications of the prospective candidates for purpose of appointment or taking interview or test against the vacancies reported.

(c) Date of receipt for the vacancies under clause (b) of sub-rule (3) above shall be considered as the date of vacancies reported.

(d) Employer or aggregator shall furnish the results of selection within one month after the probable date by which the vacancy to be filled (mentioned in Vacancy Notification form-I) to the Regional Career Centre through the designated portal.

5. The employer or aggregator shall submit yearly returns along with annexure in the form of Employment Information Return (EIR) to the concerned Regional Career Centre regarding occupational information, as provided in the form-II. The annual returns shall be submitted through the designated portal within thirty days of the due date, namely 31st March of the year. Submission of Return.

6. (a) Every employer or aggregator in **Public sector** in the State shall maintain records manually or electronically or digitally about the following :- Maintenance of Records.

(i) total number of employees (regular, temporary, contractual, casual or fixed term employment) on 31st March of every year;

(ii) persons recruited during the year ending on the 31st March;

(iii) number of Residents of the State of Haryana recruited during the year ending on 31st March;

(iv) occupational details of its employees on 31st March of every year;

(v) vacancies for which suitable candidates were not available during the year ending on 31st March; and

(vi) approximate number of vacancies likely to occur during the next Financial Year.

(b) Every employer or aggregator in the **Private sector** in the State shall maintain records manually or electronically or digitally about the following :-

(i) total number of employees (regular, temporary , contractual, casual or fixed term employment) on 31st March of every year;

(ii) persons recruited during the year ending on 31st March;

(iii) number of Residents of the State of Haryana recruited during the year ending on 31st March;

(iv) occupational details of its employees on 31st March of every year;

(v) vacancies for which suitable candidates were not available during the year ending on 31st March; and

(vi) approximate number of vacancies likely to occur during the next Financial Year.

Declaration of Executive Officer.

7. For the purposes of enforcement or implementation of Chapter XIII (Employment Information and Monitoring) of the Code, the State Government shall declare in writing an Officer-In-Charge of Regional Career Centres as "Executive Officer" for each district.

Right of access to records or document.

8. Executive Officer have access to any relevant records or documents in the possession of any employer or aggregator after prior notice and may inspect ,obtain copies of relevant records or seek any necessary information required for the purposes of Chapter XIII of the Code.

Levy of penalty

9. The Director of Employment or an officer of equivalent rank of the State in which the establishment is located, shall be the competent authority to approve or impose penalties for any offence as mentioned in clauses (e),(m),(n) and (o) read with clauses (iii) and (iv) of section 133.

FORM-I

[see rule 4(3)(a)]

Form for Reporting Vacancies to Career Centres

(Separate forms to be used for each type of posts)

1	**Registration No. of establishment under Code**		
	Particulars of the Establishment		
	Name		
	Principal Economic activity details		
	Address with PIN Code		
	Telephone No.		
	Mobile No.		
	Email address		
	GPS Coordinates	Longitude	
		Latitude	
	Type of Establishment (Central Government, State Government, Public Sector Undertaking (PSU), Autonomous, Private, etc.)		
2	**Particulars of the Human Resource(HR)/ Establishment Officer**		
	Name		
	Designation		
	Telephone No.		
	Mobile No.		
	Email address		
3	**Particulars of vacancy(ies):**		
	(a) Type of vacancies (permanent/ contractual/ apprentice)		
	(b) Designation/ nomenclature of the vacancy (ies) to be filled		
	(c) Description of duties of the post (job role/functional role)		
	(d) Qualifications/Skills required (Educational, Technical, Experience)	Essential	Desirable/Preferable
	(i) Educational Qualifications		
	(ii) Technical Qualifications		
	(iii) Skills		
	(iv) Experience		
	(e) Age Limits, if any(Age as on last date of application)		
	(f) Preferences (such as Ex-servicemen, persons with disabilities, women, etc.) if any		
	(g) Duration of Employment	Number of posts	
	(i) less than 3 months		
	(ii) 3-6 months		
	(iii) 6-12 months		
	(iv) 12 months and more		

4	**Whether there is any obligation for arrangement for giving reservation/ preference** to any category of persons such as Scheduled Caste (SC), Economically Weaker Sections(EWS), Other Backward Classes (OBC), Ex-serviceman and persons with disabilities (PwD) , Women etc. in filling up the vacancies: **Yes/No** (if yes, give the number of vacancies to be filled by such category of persons as detailed below)		
	Category	Number of vacancies to be filled	
		Total	*By Priority candidates *(Applicable for Central Government vacancies)
	(a) Scheduled Caste		
	(b) Other Backward Classes		
	(c) Economically Weaker Sections		
	(d) Ex-Serviceman		
	(e) Persons with Disabilities (PwD)		
	(f) Women		
	(g) Others(please specify)		
5	**Pay and Allowances:** For Government vacancies: Mention pay level/pay scale of the post with basic pay/pay per month with other details if any For others: Mention minimum total emoluments per month with other details, if any.		
6	Probable date by which the vacancy to be filled		
7	Place of work (Name of the town/village and district, pin code, etc. in which it is situated)		
8	Mode of Application (Email address, online, in writing, etc.) and Last date for receipt of applications.		
9	Particulars of officer to whom the applications be sent/candidates should approach		
	(i) Name		
	(ii) Designation		
	(iii) Email id		
	(iv) Address		
	(v) Telephone No.		
	(vi) Website address in case of online mode of recruitment		
10	**(i)** Through Career Centre		
	(ii) Through Placement Agency		
	(iii) Through Self-management		
	(iv) Any other mode(specify)		
11	Would like to prefer submission of list of eligible candidates registered with Career Centre	Yes/No	
12	Any other relevant information		

Signature
Name
Designation of Authorised Signatory of establishment/
employer or aggregator with seal and date

(For Official Use- to be filled by Career Centre)

13	Name, address, email id of the Career Centre	
14	Date of receipt of Vacancies	
15	NIC Code of the establishment	
16	NCO Code of the post	
17	Unique vacancy id number	

Signature
Name
Designation of Authorised Signatory of
Regional Career Centre with seal and date

NOTE:

1. Regional Career Centre to which the vacancies are reported, would provide a unique vacancy reporting number for the vacancy reported and convey it to the employer or aggregator in writing, through email or designated portal immediately but not later than five working days from the date of receipt of reporting of vacancies.
2. An employer or aggregator, if advertises that vacancy in any media or makes recruitment through any agency or any other mode, may invariably quote that unique vacancy reporting number in that advertisement or recruitment process.
3. Any change in the particulars already furnished to the Regional Career Centre, shall be reported through designated portal.

FORM-II

[see rule 4(5)]

Form EIR (Employment Information Return)

Yearly Return to be submitted to the Regional Career Centre for the Year ended……………………………….

The following information is required to be submitted under the Code on Social Security, 2020 (Central Act 36 of 2020) (Chapter XIII– Employment Information & Monitoring).

<table>
<tr><td>Name and Address of the Establishment</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>Whether – Head Office/ Branch Office</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>Type of Establishment
(Public /Private Sector)</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>Nature of business/Principal activity</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>Establishment Registration No. under the Code</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">1. (a) EMPLOYMENT
Total number of manpower of establishment including working proprietors/ partners/ contingent paid and contractual workers, out-sourced workers, excluding part-time workers and apprentices (The figures should include every person whose wage or salary is paid).</td></tr>
<tr><td>Category</td><td>On the last working day of the previous Year</td><td>On the last working day of the Year under report</td></tr>
<tr><td>MEN</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>WOMEN</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Other (Transgender)</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>TOTAL :</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>PWD (persons with disabilities) out of above total</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">(b) Please indicate the main reasons for any increase or decrease in employment if the increase or decrease is more than 5% during the Year……………………………………………………………………………..</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="5">2. Number of vacancies* occurred and reported to Career Centre during the year and the number of vacancies filled during the year</td></tr>
<tr><td>Occurred</td><td colspan="2">Reported</td><td>Filled</td><td>Source (Career Centre/ NCS Portal/ Govt. Recruiting Agencies/ Private Placement Organisations/ others)</td></tr>
<tr><td></td><td>Career Centre
(Regional)</td><td>Career Centre
(Central)</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

*As per the provisions of Code on Social Security, 2020 (Central Act 36 of 2020) (Chapter XIII) and rules made there under,

3. **Manpower shortages:**

Vacancies/posts remained unfilled because of shortage of suitable applicants.

Name of the occupation or designation of the post	Number of unfilled vacancies/posts		
	Skill/qualifications(educational / technical/experience)prescribed	Essential	Desirable
1	2	3	4

(Please list any other occupations also for which this establishment had any difficulty in obtaining suitable applicants recently).

4. Estimated Manpower Requirement by occupational classification during the next Financial Year (Please mention the number of employees in each occupation separately).

Occupation	**Number of employees** Please mention as far as possible approximate number of vacancies in each occupation you are likely to fill during the next Financial Year due to retirement/ expansion or re-organisation.				
Description	Men	Women	Others (transgender)	Total	PwD (persons with disabilities) out of total
1	2	3	4	5	6
*					
Total					

* Description (in the column) - Use exact terms such as Engineer (Mechanical), Assistant Director (Metallurgist); Research Officer (Economist); Supervisor (Tailoring); Inspector (Sanitary); Superintendent (Office); Manager (Sales), Manager (Accounts), Executive (Marketing), Data Entry Operator............................so on.

Signature
Name
Designation of Authorised Signatory of establishment/
employer or aggregator with seal and date.

Note:- 1. This return is to be rendered to the Regional Career Centre within thirty days after the end of the Financial Year concerned by establishments vide their obligation under the Code on Social Security, 2020 (Central Act 36 of 2020) (Chapter XIII-Employment Information and Monitoring).

2. The main purpose in obtaining the information from employers or aggregator is to know (i) the vacancies/employment opportunities available; (ii) type of personnel who are in short supply; and (iii) future job opportunities for providing vocational guidance/skill training to the jobseekers and connecting them with the employers or aggregators. This is helpful in as certaining the skill needs also. Employers or aggregators too will be able to call on /visit the Regional Career Centres for getting suitable candidates as per their requirements.

Annexure

Total number of manpower by occupational classification during the present Year (Please mention the number of employees in each occupation separately).

Occupation	**Number of employees**					
Description	Men	Women	Others (transgender)	Total	PwD (persons with disabilities) out of total	Haryana Resident out of Total
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Total						

Note:-* Information is collected on voluntary basis.

RAJEEV RANJAN,
Principal Secretary to Government Haryana,
Youth Empowerment and Entrepreneurship Department.

12389—L.R.—H.G.P., Pkl.